53	रघु पिता अंतराम जाति भरिया पता चिखला हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	154	0.625	0.625	अर्धनिर्माण मकान (पक्का)–01 कच्चा कबेलूवाला मकान–02 पक्का मकान–04
		155	0.625	0.625	
योग–			**1.250**	**1.250**	
54	गोपाल पिता अन्तराम जाति भरिया पता चिखला हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	158	0.625	0.625	
योग–			**0.625**	**0.625**	
55	दुर्गेश पिता धांधू ठाकुर जाति मवासी पता हर्रई हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	159/1	1.500	1.500	
योग–			**1.500**	**1.500**	
56	सविताबाई पिता रामसनी जाति भरिया पता चिखला हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, सबितलाल पिता रामसनी जाति भरिया पता चिखला हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, सिराजोबाई बेवा रामसनी जाति भरिया पता चिखला हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, चंद्रभान पिता रामसनी पता चिखला हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	160/1	1.663	1.663	
योग–			**1.663**	**1.663**	
57	रामसनी पिता अमरसी जाति भरिया पता चिखला हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	160/2	1.900	1.900	
योग–			**1.900**	**1.900**	
58	बराती पिता अंतराम जाति भरिया पता चिखला हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	160/3	0.625	0.625	
योग–			**0.625**	**0.625**	
59	विपतियाबाई पति सुरजू जाति भरिया पता चिखला हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	161	1.663	1.663	गौशाला–08 पक्का मकान–03 कच्चा कबेलूवाला मकान–02 शौचालय–01
योग–			**1.663**	**1.663**	
60	रामचरन पिता सुक्का पता चिखला हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	168	1.611	1.611	
योग–			**1.611**	**1.611**	
61	ममता पिता गिरानी जाति भरिया पता चिखला हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	171	0.315	0.315	
योग–			**0.315**	**0.315**	
62	हन्नू पिता पलटू जाति भरिया पता चिखला हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	173	1.465	1.465	
योग–			**1.465**	**1.465**	
63	रामचरन पिता गज्जीलाल जाति गोड पता चिखला हर्रई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	175	0.821	0.821	
योग–			**0.821**	**0.821**	
64	(शासकीय) नर्मदा घाटी विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	185	0.223		पक्का मकान–01 बाउंड्री –01 अर्धनिर्माण मकान (पक्का)–01 कच्चा छप्परवाला मकान–1
65	(शासकीय) मध्यप्रदेश शासन पता छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासकीय	153	1.214		गौशाला–04 कच्चा कबेलूवाला मकान–08 कच्चा खण्डहर वाला मकान–01 अर्धनिर्माण मकान (पक्का)–03 पक्का मकान–10 शौचालय–02 पक्की बीम –02 कच्चा छप्परवाला मकान–01
66	(शासकीय) मध्यप्रदेश शासन पता छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासकीय	169	32.800		अर्धनिर्माण मकान (पक्का)–01 मकान(पक्का)–01 शौचालय–01 कच्चा कबेलूवाला मकान–02
67	(शासकीय) मध्यप्रदेश शासन पता छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासकीय	152	0.809		अर्धनिर्माण मकान (पक्का)–01 पक्का मकान–04 कच्चा कबेलूवाला मकान–02 पक्का मकान सीमेंट शीट–01
68	(शासकीय) नर्मदा घाटी विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	164	0.413		कच्चा कबेलूवाला मकान–01
69	(शासकीय) नर्मदा घाटी विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	86	0.020		पक्का मकान–01 गौशाला–01 कच्चा कबेलूवाला मकान–01
70	आबादी	133	0.368		पक्का मकान–09 कच्चा कबेलूवाला मकान–08 गौशाला–02 शौचालय–06 कच्चा छप्परवाला मकान –01 बाउंड्री-01 पक्की सीढ़ी –01
कुल योग–			**160.489**	**138.682**	

(2) उपरोक्त घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन सम्यक जांच करने के पश्चात की गयी है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिये सम्भावित कुटुम्ब की संख्या 261 है जिनके पुनर्व्यवस्थापन के लिये क्षेत्र चिन्हित कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है–

ग्राम–कोटरा रा0नि0म0 व तहसील–हर्रई के खसरा न. 22 रकवा 5.463 हे0, खसरा न. 23 रकवा 2.833 हे0, खसरा न.25 रकवा 0.793 हे0, खसरा न.26 रकवा 0.975 हे0, खसरा न. 29 रकवा 7.507, खसरा न. 31 रकवा 1.441, खसरा न. 34 रकवा 0.190, खसरा न. 35 रकवा 3.832, खसरा न. 38 रकवा 8.644, खसरा न. 39 रकवा 0.388, खसरा न. 40 रकवा 1.566, खसरा न. 218 रकवा 12.950 परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम आयुक्त महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक–281/राजस्व शाखा/2026 जबलपुर दिनांक 12/05/2026 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। जिसका सार निम्नानुसार है–

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में 2400 वर्गफुट का भू–खंड एवं प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
(2) कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वास क्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, भी विस्तारित किया जाएगा।
(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
(5) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को पांच लाख रूपए का एक बारगी संदाय दिया जावेगा।
(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है. को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रति मास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इस रकम के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग पचास हजार रुपए के समतुल्य रकम प्राप्त करेंगे।
(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
(8) पशु या छोटी दुकान रखने वाले को एक बार न्यूनतम पच्चीस हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
(9) कारीगरों एवं छोटे व्यापारियों को एक बार न्यूनतम पच्चीस हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
(10) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
(11) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।
(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
(13) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
(14) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापन जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघातको कम करने का प्रयास कर सकें। युक्ति युक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

(15) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
(16) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
(17) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
(18) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
(19) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह।
(20) उचितमूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या।
(21) यथोचित पंचायत घर।
(22) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
(23) जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाहगृह ।
(24) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु ।
(25) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।
(26) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।
(27) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।
(28) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र।
(29) भारत सरकार द्वारा यथा विहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
(30) बच्चों के लिए क्रीडा क्षेत्र।
(31) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र ।
(32) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा।
(33) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो।
(34) मानको के अनुसार पशु पालन सेवा केन्द्र ।
(35) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील हर्रई के ग्राम–कोटरा रा0नि0म0 वा तहसील–हर्रई के खसरा न. 22 रकवा 5.463 हे0, खसरा न. 23 रकवा 2.833 हे0, खसरा न.25 रकवा 0.793 हे0, खसरा न.26 रकवा 0.975 हे0, खसरा न. 29 रकवा 7.507, खसरा न. 31 रकवा 1.441, खसरा न. 34 रकवा 0.190, खसरा न. 35 रकवा 3.832, खसरा न. 38 रकवा 8.644, खसरा न. 39 रकवा 0.388, खसरा न. 40 रकवा 1.566, खसरा न. 218 रकवा 12.950 है।
(36) शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना (फेज–2) शक्कर बांध अंतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 2400 वर्गफुट का आवासीय भू–खण्ड चिन्हांकित खसरों के आवंटन पश्चात, प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
(37) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधाये प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक के पूर्वतीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र मे निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
(38) अधिनियम की धारा 3 धारा 3 (c) &3 (m) के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एव लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना (फेज–2) के अंतर्गत शक्कर बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध मे।
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे मे हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट http://www.chhindwara.mp.gov.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू–अर्जन अधिकारी तहसील–अमरवाडा जिला–छिंदवाडा के न्यायालय मे कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर सभाग नरसिंहपुर जिला–नरसिंहपुर के कार्यालय मे कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर सभाग नरसिंहपुर जिला–नरसिंहपुर के कार्यालय मे कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(हरेंद्र नारायन)
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

G17020/26

ग्राम तिगांव भागवत कथा का हुआ समापन

नव भारत न्यूज पांढुरना, 13 अगस्त, ग्राम तिगांव स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर प्रांगण में श्रीमद भागवत कथा अमृत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का समापन पारंपरिक रूप से अंतिम दिन महाआरती के बाद गोपाल काला कीर्तन संपन्न हुआ। कथा पंडाल से दत्तात्रेय दिंडी परिवार के मार्गदर्शन में ग्राम के प्रमुख मार्गो से भव्य शोभायात्रा धार्मिक भजनों के गुणगान से निकाली गई। जिसका जगह जगह श्रद्धालुओं ने घर के आंगन में रंगोली निकाल पुष्प माला से स्वागत सत्कार कर किया गया। गोपाल काला कीर्तन का महत्व ह भ प हरिओम महाराज निंबुलकर शास्त्री अमरावती महाराष्ट्र के मुखरबिंद से कर महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके पूर्व सुबह यजमान द्वारा पूर्ण आहुति के साथ यज्ञ संपन्न हुआ। हजारों श्रद्धालुओं के दान मात्र से निर्मित स्वादिष्ट भंडारे का लोगो देर शाम तक पुण्य लाभ अर्जित किया। इस आयोजन को सफल बनाने में श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर सेवा समिति एवं ग्रामीणों का विशेष सहयोग रहा।

असिस्टेंट कमांडेंट बनने पर निलेश भुतानगे का स्वागत-सत्कार

नवभारत न्यूज़, सौसर 13 अगस्त. विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खैरी तायगांव में यूपीएससी (CAPF) की परीक्षा पहले ही अटेम्प्ट में उत्तीर्ण कर असिस्टेंट कमांडेंट बने निलेश भुतानगे के निज निवास पहुंचकर विधायक विजय चौरे ने पुष्प गुच्छ भेंटकर श्वाल ओढ़ाकर निलेश का आत्मीय स्वागत–सत्कार किया तथा निलेश एवं परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई प्रेषित की। इस अवसर पर विधायक विजय चौरे ने निलेश भुतानगे को उनकी शानदार सफलता के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा की यह पूरे सौसर क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। कठिन परिश्रम, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर निलेश ने यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है ।इस अवसर पर विधायक विजय चौरे,किशोर खरपुरिया,सुनील पिंजारे,विल्सन मेश्राम,बाबा बागड़े,अशोक कहाते,शिव मोहन शर्मा,गणेश चौरे,प्रदीप इंगोले,बंडू पाटिल,हर्षल पिंगले,अमोल रंगारे,अमन खान,अविनाश बोडे आदि उपस्थित रहे।

आज जिले के ग्राम नांदनवाड़ी एवं देवी में लगेंगा जन-विश्वास शिविर

नव भारत न्यूज, पांढुरना, 13 अगस्त, मुख्यमंत्री जन–विश्वास अभियान–2026 के अंतर्गत जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से चयनित क्लस्टरों एवं नगरीय निकायों में प्रत्येक शुक्रवार को विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 07 अगस्त 2026 से 08 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। अभियान के क्रम में 14 अगस्त 2026 को पांढुर्णा विकासखंड के नांदनवाड़ी एवं देवी में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। नांदनवाड़ी क्लस्टर में बुचनखापा, नांदनवाड़ी, अम्बाड़ा, ढोलनखापा एवं घडेलामाल ग्राम पंचायतें तथा देवी क्लस्टर में देवी एवं उटेकाटा ग्राम पंचायतें शामिल रहेंगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र भ्रमण, स्थलीय निरीक्षण एवं जनसंवाद के माध्यम से आमजन की समस्याओं और शिकायतों का त्वरित निराकरण करना, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करना तथा लोक सेवाओं का समय–सीमा में प्रदाय सुनिश्चित करना है। शिविरों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ योजनाओं का लाभ दिलाने की कार्यवाही भी की जाएगी।

प्रात: 9 बजे से होगा क्षेत्र भ्रमण एवं आवेदन प्राप्ति का कार्य : अभियान दिवस पर प्रात: 9 बजे से जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी संबंधित ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेंगे। इस दौरान अधिकारी नागरिकों से आवेदन एवं शिकायतें प्राप्त करने के साथ ही शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली जाएगी तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसके पश्चात अपराह्न 3 बजे तक संबंधित क्लस्टर मुख्यालय पर जनसंवाद एवं समाधान शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में संबंधित जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर यथासंभव मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

शासकीय महाविद्यालय के छात्रों ने निकली तिरंगा बाइक रैली

देशभक्ति एवं राष्ट्रीय गौरव का दिया संदेश, विद्यार्थियों ने लगाए देशभक्ति के नारे

नव भारत न्यूज पांढुरना, 13 अगस्त ,मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार एवं नगर के शासकीय विज्ञान महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. शहनाज खान के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से विद्यार्थियों एवं महाविद्यालय परिवार ने देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव तथा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना का संदेश दिया। तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. शहनाज खान ने हरी झंडी दिखाकर किया। हाथों में तिरंगा ध्वज लेकर बड़ी संख्या में विद्यार्थी बाइक रैली में शामिल हुए। रैली महाविद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर अमरावती रोड, जूना पांढुर्णा, संत जगनाडे चौक, जय स्तंभ चौक, तीन शेर चौक, शिवाजी चौक, बस स्टैंड, राजा भोज चौक, स्वामी विवेकानंद चौक, संत तुकाराम महाराज चौक एवं नगर पालिका ग्राउंड होते हुए शंकर नगर स्थित शाह पेट्रोल पंप पहुंची। यहां से रैली बस स्टैंड, तीन शेर चौक एवं अमरावती रोड रेलवे क्रॉसिंग होते हुए पुन: महाविद्यालय परिसर पहुंची। रैली के दौरान विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति से ओत-प्रोत नारे लगाए। विद्यार्थियों ने नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता एवं देश की अखंडता का संदेश दिया। रैली के मार्ग में देशभक्ति का वातावरण बना रहा और नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक रैली का स्वागत किया। तिरंगा बाइक रैली का संयोजन महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी डॉ. नंदकिशोर पवार द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रो. गणेश कुमार तुमड़ाम, प्रो. पंजाब सिंह, प्रो. रविंद्र बंसोड़, प्रो. पवन कुमार कोड़ापे, डॉ. प्रजेंद्र रघुवंशी, डॉ. अनिल पिंपलकर, डॉ. श्रेयांश परसाई, डॉ. कैलाश गोन्हेरे, भोजराज कराले, राधेश्याम बुवाड़े, राकेश , धीरज इरपाचे , संजय उईके, बबलू चौधरी, विनित चर्मकार, रोहित पन्द्राम, मनीष परतेती, हेमराज काकोडे सहित महाविद्यालय के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

सांदीपानी स्कूल में वाद विवाद निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता संपन्न

नवभारत न्यूज़ सौंसर 13 अगस्त. आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में नगर स्तरीय वाद-विवाद ,निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन सांदीपनि विद्यालय सौसर में प्राचार्य श्रीमती शैलजा बत्रा और उप प्राचार्य संजय गवनेकर सर के निर्देशन में किया गया । प्रतियोगिताओं का आरंभ मां सरस्वती के पूजन से हुआ ।प्रतियोगिताओं में नगर के छह विद्यालयों-शासकीय सांदीपनि विद्यालय शासकीय कन्या विद्यालय शासकीय प्रभावती विद्यालय ओम साईं विद्यालय और शांतिनिकेतन विद्यालय के विद्यार्थियों ने भाग लिया ।वाद विवाद में पक्ष से 10 विद्यार्थियों ने और विपक्ष से नौ विद्यार्थियों ने भाग लिया जिसका विषय था जलवायु परिवर्तन वास्तविक खतरा या अतिशयोक्ति ।निबंध प्रतियोगिता का विषय पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी लिया गया ।इस प्रतियोगिता में 11 विद्यार्थियों ने भाग लिया तो वहीं चित्रकला का विषय भारत की प्रमुख विश्व धरोहरों में से किसी एक का चित्र लिया गया जिसमें 11 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

ग्राम के मोक्षधाम मार्ग पर हाईमास्क लगाने ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई गुहार

नवभारत न्यूज, तिगांव, 13 अगस्त, ग्राम के बाईपास की तरह ही मोक्ष धाम वाले मुख्य मार्ग पर हाई मास्क इलेक्ट्रॉनिक हैलोजन लगाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपा । ग्राम तिगांव के पंच राहुल शेंडे के नेतृत्व में बीते दिवस ग्राम के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिला कलेक्टर से भेट कर उन्हें एक हस्ताक्षरयुक्त आवेदन पत्र सौपते हुए बताया कि ग्राम के पास से होकर गुजरने वाले प्रमुख नागपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईपास के पास नेशनल हाइवे के अधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर नीरज वशिष्ठ के निर्देश पर इन दिनों ग्राम के दोनों और हाई मास्क लगाने का कार्य किया जा रहा है,यह कार्य पूर्णहोने से इन दुधिया रोशनी से राहगीरों के साथ ही ग्रामीणों को भी बहुत अधिक सुविधा होंगी, जिसकी सभी ग्रामीणों द्वारा इस कार्य की सराहना कर कलेक्टर साहब का ध्यनवाद प्रेषित कर रहें है ।वहीं ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बताया कि अधिकांश ग्रामीणों का ग्राम के पास से प्रवाहित होने वाली जाम नदी की पुलिया के पास से मोक्ष धाम वाले मार्ग से होकर इस नेशनल हाईवे क्राम रोड चौराहा है,इसी चौराहे से होकर चिचखेडा जाने वाले मार्ग पर ही ग्राम के अधिकांश किसानों के खेत है,इन किसानों तथा खेतिहर श्रमिकों को इस मार्ग से आने जाने में रात के समय यहा बहुत अधिक अंधेरा रहने से हमेशा भय जहरीले जीव जंतुओं के साथ ही नेशनल मार्ग से अत्याधिक तेज गति से आने जाने वाले के चपेट में आने से दुर्घटना का भय बना रहता है।

ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से ग्राम के बाईपास के दोनों टी पाईट पर जिस तरह हाई मास्क लगाया जा रहा है,उसी तरह ग्राम के पास वाले इस उक्त मोक्षधाम वाले मार्ग पर ही हाई मास्क लगाने की मांग की है। इस आशय का जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र सौंपते समय ग्राम तिगांव के पंच राहुल शेंडे,रविंद्र हुरड़े,मयुर पोतदार,रमाकांत पैठनकर,बबलू वाईकर,संदीप बागड़े,महेंद्र नेहारे,देविदास महाले, गोपाल कांम्बे,सागर कुभरे,गुणवंता बाकरे आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।